संख्या–338/एक–10–2022

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ललितपुर।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांकः 02 ~~फरवरी~~ मार्च, 2022

विषयः– टी0आर0–27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–595/22–एम0सी0–आ0सहा0/मा0मु0मं0रा0को0 (2021–22), दिनांक 10.12.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृतक के परिजन श्रीमती पार्वती पत्नी श्री भोगी, निवासी नयागांव तहसील व जनपद ललितपुर को तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि टी0आर0–27 से आहरित की गयी है। उक्त टी0आर0–27 से आहरित धनराशि के समायोजन हेतु रू0 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि **निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन** जिलाधिकारी, ललितपुर के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) राहत सहायता के वितरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माडल कोड आफ कन्डक्ट में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(3) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 के नियम–209 तथा चैप्टर–1 के संलग्नक–ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(5) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–359–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2– **उक्त स्वीकृति रू0 2,00,000/–(रू0 दो लाख मात्र)** की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष–**2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–07–जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या–338 (1)/एक–10–2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार–(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
4 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
5– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
6– सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई–बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
9– सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/03/2022

प्रेषण संख्या:- 338
आवंटन आदेश संख्या:- 205-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	200000	200000
		प्रगामी	643333	643333
	योग	वर्तमान	200000	200000
		प्रगामी	643333	643333

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: लाख तियालीस हजार तीन सौ तैंतीस

2/3/2022
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।